विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-24/17

श्री कपित जैन, — आवेदक
पटेल मार्केट के सामने, भानपुर चौराहा,
विदिशा रोड, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक — अनावेदक
शहर संभाग (पूर्व)
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
भोपाल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 24.08.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 28/2017 श्री कपिल जैन विरूद्ध उप महाप्रबंधक, शहर संभाग (पूर्व), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल में पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 21.07.2017 को प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–24/17 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 11.08.2017 को प्रकरण में सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री अजय जैन तथा अनावेदक की ओर से श्री अजय कुमार वाधवानी, सहायक अभियंता उपस्थित हुए ।

04 सुनवाई के प्रारंभ में आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं का निराकरण करने का अनुरोध किया गया –

अ ज्यादा राशि का बिल प्रदान करना, गलत गणना करना।

ब बिना किसी पूर्व सूचना के कनेक्शन काटना, मीटर का पुनः परीक्षण नहीं करना।

स परिसर स्टोर में स्थापित चलित उपकरणों का भौतिक सत्यापन करके गणना करते हुए फरवरी 15 से पूर्व में स्थापित मीटर एवं जनवरी 2016 के बाद लगाए गये दोनों की खपत के आधार पर संशोधित बिल प्रदान करने बाबत।

द अक्टूबर 2015 से हुई खपत को दो भागों में बाटकर 70 प्रतिशत घरेलू टैरिफ से तथा 30 प्रतिशत गैर घरेलू टैरिफ से संशोधित कर बिल प्रदाय किये जाने का अनुरोध किया गया।

05 आवेदक द्वारा बताया गया कि–

(ए) उनके स्टोर परिसर में गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन नं. 350–30–25–111 दिनांक 23.11.2013 को स्थापित किया गया है।

(बी) आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि एक अन्य विद्युत कनेक्शन वर्ष 2004 में फ्लोर मिल हेतु लिया गया था जो कि उनके संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से था, को विच्छेदित कराकर दिसंबर 2013 से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित कराया गया था।

(सी) आवेदक द्वारा बताया गया कि घरेलू श्रेणी का कनेक्शन जो कि श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से स्थापित किया गया था, अगस्त 2015 से बिना किसी पूर्व सूचना के उसका मीटर अनावेदक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निकाल लिया गया तथा जिसे पुनः सितंबर 2016 में स्थापित किया गया।

(डी) आवेदक द्वारा बताया गया कि जनवरी 2014 से उनके गैर घरेलू कनेक्शन में गलत खपत दर्शाते हुए बिल दिये जाते रहे तथा मीटर द्वारा अधिक खपत दर्ज की गई जिसका कि परीक्षण करने के उपरांत अनावेदक को संशोधित बिल जारी किया जाना था।

(ई) अगस्त 2015 में घरेलू कनेक्शन जो कि उनके संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से था का मीटर निकाल लिये जाने के कारण उनके द्वारा गैर घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग किया गया।

06 उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर अनावेदक द्वारा कथन प्रस्तुत किये गये कि–

(ए) आवेदक के परिसर में गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन दिनांक 23.11.2013 को दिया गया था तथा इस कनेक्श में स्थापित मीटर परीक्षण हेतु निकाल कर दिनांक 13.1.2016 को नया मीटर स्थापित किया गया।

(बी) अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के परिसर पूर्व में एक विद्युत कनेक्शन नं. 350–30–25–111 मसाला उद्योग हेतु स्थापित था जिसे आवेदक के अनुरोध पर दिसंबर 2016 में घरेलू श्रेणी में परिवर्तित किया गया ।

(सी) अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक के अनुरोध पर कि उनके गैर घरेलू कनेक्शन में स्थापित मीटर ज्यादा खपत दर्ज कर रहा है की शिकायत पर मीटर परीक्षण हेतु दिनांक 13.1.2016 को निकाला गया। (ओई–1) परीक्षण में मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई। (ओई–2)

(डी) अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा विभाग की परीक्षण लैब की रिपोर्ट से संतुष्ट ना होकर मीटर को पुनः स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण कराने हेतु अनुरोध किया

गया। परन्तु प्रचलित प्रावधानों के तहत मीटर परीक्षण की फीस आवेदक को जमा करानी थी जो कि उनके द्वारा जमा नहीं करने पर मीटर का परीक्षण स्वतंत्र प्रयोगशाला में नहीं कराई जा सकी। (ओई–5)

(ई) अनावेदक द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा स्वयं अपने कथन में स्वीकार किया गया कि उनके एक अन्य विद्युत कनेक्शन जो कि घरेलू श्रेणी में उनके संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से दिया गया था, का मीटर निकाल लिये जाने पर उनके द्वारा सितंबर 2015 से जुलाई 2016 तक विद्युत खपत गैर घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित कनेक्शन के मीटर जो कि श्री कपिल जैन के नाम से है, विद्युत का उपयोग किया गया। अतः टैरिफ के प्रावधान अनुसार उच्च्तम टैरिफ से समस्त खपत का बिल किया जाना उचित है।

(एफ) अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक का घरेलू विद्युत कनेक्शन नं. 3391715111 को स्थाई रूप से बकाया राशि के भुगतान न करने के कारण विच्छेदित कर दिया गया था एवं उपभोक्ता को विच्छेदित करने से पूर्व कई बार बकाया राशि जमा कराने हेतु अनुरोध किया गया था।

(जी) अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि गैर घरेलू कनेक्शन के विरूद्ध अक्टूबर 2014 में औसत खपत 6000 यूनिट का बिल दिया गया था जिसका समायोजन उनके द्वारा दिया जा चुका है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

07 उपरोक्त तर्कों एवं तथ्यों के आधार यह तथ्य सामने आते हैं कि–

(ए) आवेदक के स्टोर परिसर में दिनांक 23.11.2013 को गैर घरेलू श्रेणी का विद्युत कनेक्शन दिया गया था।

(बी) आवेदक के एक अन्य संबंधी श्री राजेन्द्र कुमार जैन के नाम से औद्योगिक कनेक्शन वर्ष 2004 में स्थापित था जिसे विच्छेदित कर घरेलू श्रेणी में दिसंबर 2013 से परिवर्तित कर दिया गया। इस औद्योगिक कनेक्शन जो कि घरेलू श्रेणी मे ंपरिवर्तित किया गया था को स्थाई रूप से विच्छेदित करते समय रूपये 83000/– रूपये की राशि बकाया थी।

08 आवेदक द्वारा इस राशि के विरूद्ध भी पूर्व में एक शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में की गई थी। फोरम के निर्णय दिनांक 24.9.2013 के अनुसार आवेदक के बिलों को संशोधित कर आवश्यक राशि रूपये 32561/– का समायोजन दिया जा चुका है। (ओई–3)

09 चूंकि उपरोक्त औद्योगिक कनेक्शन को घरेलू कनेक्शन में परिवर्तित कर दिया गया था अतः इस कनेक्शन के विरूद्ध समस्त बकाया राशि को दिये गये घरेलू कनेक्शन क्रमांक 291–3804210 में स्थानांतरित कर दी गई। परन्तु आवेदक द्वारा नियमित बिलों के साथ–साथ इस बकाया राशि का भुगतान समय–समय पर दिये गये बिलों के साथ भुगतान नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उक्त कनेक्शन को सितंबर 2015 में स्थाई रूप से विच्छेदित कर परिसर में स्थापित मीटर को निकाल लिया गया। (ओई–4)

10 अनावेदक द्वारा प्रस्तुत खपत विवरण जनवरी 2014 से अगस्त 2017 तक का (ओई–4) दोनों परिसर का निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि उपरोक्त घरेलू कनेक्शन से मीटर निकालने के पश्चात गैर घरेलू कनेक्शन के मीटर द्वारा अगस्त 2016 तक अधिक खपत दर्ज की जाना पाया गया, जो कि आवेदक के कथन कि पास में स्थित घर में गैर घरेलू कनेक्शन से विद्युत का उपयोग किया गया की पुष्टि होती है।

11 आवेदक के विद्युत कनेक्शन नं. 3391715111 को स्थाई रूप से विच्छेदित करने के पश्चात आवेदक द्वारा बकाया राशि का भुगतान की सहमति एवं एक किश्त जमा करने पर पुनः नया कनेक्शन नं. 2913804210 अगस्त 2016 में दिया गया जिसके पश्चात उनके गैर घरेलू कनेक्शन नं. 350–30–25–111 में स्थापित मीटर द्वारा कम खपत दर्ज की जाना पाया गया। (ओई–4)

12 आवेदक का कथन कि उनके गैर घरेलू में स्थापित मीटर तेज चलने के कारण अधिक खपत अथवा गलत रीडिंग के कारण अधिक बिल दिया गया, के संबंध में कनेक्शन में स्थापित मीटर की प्रारंभिक रीडिंग से दिनांक 13.1.2016 को मीटर परीक्षण हेतु निकालने के समय पर दर्ज मीटर रीडिंग के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उन्हें इस अवधि में जिस विद्युत खपत हेतु मासिक बिल जारी किये गये थे वे मीटर की प्रारंभिक रीडिंग एवं अंतिम रीडिंग के अंतर के अनुसार ही पाये गये (ओई–6) तथा दिनांक 13.1.2016 को स्थापित नये मीटर से अगस्त 2017 तक भी मासिक बिल में दर्शाई गई कुल खपत एवं मीटर में दर्शाई गई अंतिम खपत के अनुसार ही पाई गई तथा अक्टूबर 2014 में अनावेदक द्वारा औसत 6000 यूनिट का दिया गया अधिक बिल का समायोजन उनके नियमित बिलों में किया जा चुका है। अतः आवेदक का यह कथन कि उन्हें गलत खपत के अनुसार एवं मीटर तेज होने के कारण अधिक खपत का बिल दिया गया प्रमाणित नहीं होता।

13 अनावेदक द्वारा आवेदक को स्वतंत्र प्रयोगशाला में मीटर परीक्षण कराने हेतु राशि जमा करने का अनुरोध किया था।(ओई–5) परन्तु आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई गई जिससे कि मीटर का पुनः परीक्षण नहीं कराया जा सका।

14 सुनवाई के दौरान अनावेदक से पूछा गया कि क्या उपरोक्त मीटर उनके पास उपलब्ध है, उनके द्वारा बताया गया कि उक्त मीटर अभी भी उनके पास उपलब्ध है । जिस पर आवेदक से पूछा गया कि क्या वे उक्त मीटर को स्वतंत्र प्रयोगशाला में परीक्षण कराने हेतु सहमत हैं, तो अनावेदक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये जाकर परीक्षण रिपोर्ट अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है। परन्तु आवेदक द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

15 आवेदक की यह मांग कि उनके परिसर में स्थापित चलित उपकरणों का भौतिक परीक्षण कर खपत की गणना कर फरवरी 2015 से पूर्व में स्थापित मीटर एवं जनवरी 2016 के पश्चात लगाये गये मीटर में दर्ज खपत के औसत के आधार पर बिल संशोधित किये

जाएं अनुचित है, क्योंकि परीक्षण के दौरान मीटर की कार्यप्रणाली सही पाई गई। फरवरी 2015 एवं जनवरी 2016 के पश्चात स्थापित मीटरों के द्वारा की गई खपत की गणना परिवर्तित परिस्थितियों के कारण न्याय संगत नहीं है।

16 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विद्युत प्रदाय संहिता 2013 एवं समय–समय पर प्रचलित टैरिफ आदेशों का अवलोकन किया गया।

विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.19 के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता अपने मापयंत्र (मीटर) का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला में कराये गये परीक्षण से संतुष्ट नहीं है, तो वह आयोग द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र प्रयोगशाला में आवश्यक राशि का भुगतान कर मीटर का परीक्षण करा सकता है। परन्तु आवेदक द्वारा परीक्षण प्रभार नहीं जमा किया गया।

17 वर्ष 2016–17 के टैरिफ आदेश की सामान्य नियम एवं शर्तों की कंडिका 7(क्यू) के अनुसार जो निम्नानुसार है –

7(q) Use of mix loads in one connection: Unless otherwise permitted specifically in the tariff category, the consumer requesting for use of mix loads for different purposes shall be billed for the purpose for which the tariff is higher.

अतः आवेदक द्वारा गैर घरेलू कनेक्शन से घरेलू कनेक्शन में अक्टूबर 2015 से जुलाई 2016 में किये गये विद्युत उपयोग को दो भागों में कि 70 प्रतिशत खपत घरेलू टैरिफ से एवं 30 प्रतिशत खपत गैर घरेलू टैरिफ से बिल संशोधित किया जाए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

18 उपरोक्त तथ्यों एवं विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा प्रचलित टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के तहत विद्युत उपभोक्त शिकायत निवारण फोरम द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 15.06.2017 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। अतः फोरम का आदेश यथावत रखते हुए आवेदक की अपील खारिज की जाती है।

19 उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

20 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल